

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन,

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0-462003

क्रमांक/एफ-1/829/2021/10-11/183

भोपाल, दिनांक 15-01-25

प्रेषक,

एच.एस.मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), मध्यप्रदेश।

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढार के वन कक्ष RF-827 & RF-828 के रकबा 142.075 हेक्टेयर वनभूमि तथा विभिन्न खसरो के रकबा 9.020 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि, कुल 151.095 हेक्टेयर वनभूमि में बिक्रम कोल ओपन कास्ट/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का - मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/49537/2020

संदर्भ:-1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-34/2021-FC दिनांक 21/04/2022

2. मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड, इण्डस्ट्रीज हाऊस, द्वितीय तल, 159 चर्चगेट रिकलेमेशन मुम्बई का पत्र क्रमांक/BCL/विक्रम कोयला खदान/2024/34 दिनांक 19.11.2024

3. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण शहडोल का पत्र क्रमांक/मा0चि0/2024/2815 दिनांक 06.12.2024

---0---

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के उक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्था/वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

A: Conditions which need to be complied prior to handing over the forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:

शर्त क्र.	अधिरोपित शर्त	शर्तों का पालन प्रतिवेदन
i	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years,	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था से वैकल्पिक वृक्षारोपण व्यय की राशि कैम्पा मद में जमा कराई जा चुकी है। जमा कराई गई राशि का विस्तृत विवरण संलग्न है।

ii	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02. 2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into CAMPA account of the State Concerned.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था से नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि कैम्पा मद में जमा कराई जा चुकी है। जमा कराई गई राशि का विस्तृत विवरण संलग्न है।
iii	The identified non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as Reserved Forest /Protected Forest prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act,1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to StateII approval.	इस शर्त के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित किया जा चुका है। गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी प्रकाशित अधिसूचनाओं की छायाप्रति संलग्न।
iv	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
v	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the Egreen watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency;	इस शर्त के पालन में प्रत्यावर्तित वनभूमि एवं गैर वनभूमि की KML फाईल ई-ग्रीनवाच पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसका आई.डी. क्रमांक 54744 है, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।
vi	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	इस शर्त के पालन में उक्त राशियां ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराई गई है।
vii	The compliance report shall be uploaded on eportal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के पालन में पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

B: Conditions which need to be complied on field after handing over the forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:

i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ii	Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
iii	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा नेट प्रजेंट वैल्यू की अतिरिक्त देय राशि अदा करने का वचन पत्र दिया गया है, जो संलग्न है।
iv	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/ Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
v	Fencing, protection and regeneration of the safety zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease] shall be done at the project cost within three years and maintained thereafter as per approved working plan of the State Govt.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
vi	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake afforestation on degraded forest land, at project cost, one and half time in extent to the area used for safety zone.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
vii	The user agency shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area, and any other areas which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc.;	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।


viii	<p>The following activities shall be undertaken by the User Agency under supervision of the State Forest Department at the project cost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams if available the vicinity of mining area shall be prepared and implemented. • Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion. • Construction of check dams, retention toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour. 	इस शर्त के पालन में विस्तृत रिपोर्ट संलग्न की गई है।
ix	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there under.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
x	The User Agency shall ensure that the dumping of Over Burden (OB) shall be carried out as per the approved phased Reclamation plan	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xi	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xii	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xiii	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xiv	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

xv	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xvi	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xvii	The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xviii	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xix	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project	इस शर्त आवेदक संस्था द्वारा पालन किया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
xx	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area;	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xxi	The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xxii	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

xxiii	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in be concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Dy. Director General (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, reclamation activities area satisfactorily executed;	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xxiv	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xxv	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xxvi	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
xxvii	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त शर्तवार पालन प्रतिवेदन संलग्न कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भविदीय

 (एच.एस.मोहन्ता)


पृ. क्रमांक/एफ-1/829/2021/10-11/184

भोपाल, दिनांक 15-01-25

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल/छिन्दवाड़ा/रीवा वृत्त, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण शहडोल/रीवा/सतना/दक्षिण छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
3. मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड, इण्डस्ट्रीज हाऊस, द्वितीय तल, 159 चर्चगेट रिक्लेमेशन मुम्बई (महाराष्ट्र)

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

Home FCA-1980 Projects Diverted Lands CA Lands Reports





INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:54744

Project Name : **Bikram Coal Mine**

Year : **2022**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project](#)
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details](#)
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects](#)
- [Add CA Land / Site Details to the Project](#) Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.

Sno.	Proposal Detail / Query	Application No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/MIN/49537/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/49537/2020) Bikram Coal Mine	MIN495372020900	21 Apr 2022	CA: 32502485/- Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Addl Zone: 0/-, PA: 0/- NPV: 0/- Total : 32502485/-	 Paid	Fund Demand Verified by 30 Aug 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 02 Sep 2024 Transaction Date 03 Sep 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/280820241138234410_FPMPMIN495372020_User_Fund_ Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=MIN495372020900)
2	FP/MP/MIN/49537/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/49537/2020) Bikram Coal Mine	MIN495372020006	21 Apr 2022	CA: 2272035/- Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Addl Zone: 0/-, PA: 0/- NPV: 0/- Total : 2272035/-	 Paid	Fund Demand Verified by 24 May 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 30 May 2024 Transaction Date 27 May 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/240520241519238560_FPMPMIN495372020_User_Fund_ Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=MIN495372020006)
3	FP/MP/MIN/49537/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/49537/2020) Bikram Coal Mine	MIN495372020792	21 Apr 2022	CA: 43722200/- Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Addl Zone: 0/-, PA: 0/- NPV: 0/- Total : 43722200/-	 Paid	Fund Demand Verified by 22 Aug 2023 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 23 Aug 2023 Transaction Date 29 Aug 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/200820231119452150_FPMPMIN495372020_User_Fund_ Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=MIN495372020792)
4	FP/MP/MIN/49537/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/49537/2020) Bikram Coal Mine	MIN495372020689	21 Apr 2022	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Addl Zone: 0/-, PA: 0/- NPV: 163075051/- Total : 163075051/-	 Paid	Fund Demand Verified by 30 Jun 2023 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 30 Jun 2023 Transaction Date 04 Jul 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/300620231127178375_FPMPMIN495372020_User_Fund_ Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=MIN495372020689)

कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE - 245361 FAX - 240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2024/ 6470

शहडोल, दिनांक: 24/12/2024

प्रति,

✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध),
मध्यप्रदेश-भोपाल

विषय:- वनमंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के वन कक्ष आर0एफ0 827 एवं आर0एफ0 828 के रकवा 142.075 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकवा 9.020 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हे0 वनभूमि में विक्रम कोल ब्लॉक ओपन काष्ठ/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यवर्तन का मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक-FP/MP/MIN/49537/2020

संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-34/2021-एफ0सी0, दिनांक 21.04.2022.
2. आपका पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11-1871 दिनांक 26.05.2022.
3. वनमंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल का पत्र क्र./मा0चि0/2024/2815 दि.06.12.24.

-☆☆☆-

विषयाकित प्रकरण की भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.04.2022 से सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति जारी की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रतिशेषित शर्तों का पालन प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल शहडोल के माध्यम से सुसंगत अभिलेखों के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रतिशेषित शर्तों का पालन प्रतिवेदन 03 प्रतियों में आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(3 प्रतियों में)

(ए0के0 पाण्डेय)
वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

पृष्ठा क्रमांक/मानचित्रकार/2024/

शहडोल, दिनांक: / /2024

प्रतिलिपि -



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

- वनमंडलाधिकारी वनमंडल दक्षिण शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड सतना, कैम्प बुढ़ार, जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक

वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल

जिला-शहडोल 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या-240304) (निवास-241443) (फैक्स-240304) ई-मेल- dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/ 2815

शहडोल, दिनांक : 06/12/2024

प्रति,

वन संरक्षक

वन वृत्त शहडोल

विषय:- वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के वन कक्ष आर.एफ. 827 एवं आर.एफ. 828 के रकबा 142.075 हे० वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकबा 9.020 हे० राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हे० वनभूमि में विक्रम कोल ब्लॉक ओपन काष्ठ/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का-मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक-FP/MP/MIN/49537/2020

संदर्भ:- 1-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-34 /2021-एफ. सी. दिनांक 21.04.2022
2-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022
3-मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमि. सतना का पत्र क्रमांक/34 दिनांक 19.11.2024.

-☆☆☆-

निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन संदर्भित पत्र क्रमांक-03 से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक संस्थान से प्राप्त पालन प्रतिवेदन/वतन पत्र की 04 प्रति संलग्न कर प्रेषित है। शर्तवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

Sr. No.	अधिरोपित शर्त	संस्थान द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन	वनमण्डलाधिकारी की टीप
A: संस्थान द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन प्रतिवेदन जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :---			
i.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for	वनमण्डलाधिकारी वन मंडल शहडोल (दक्षिण) का मांग पत्र क्रमांक 3924 दिनांक 01.06.2022, चालान संख्या 5849537792 दिनांक 23.08.2023 को राशि 2,13,85,100 रुपये, वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा मांग पत्र क्रमांक 4405, दिनांक 19.05.2022 चालान संख्या 5849537792 दिनांक 23.08.2023 को राशि 2,23,37,100 रुपये वनमण्डलाधिकारी वन मंडल सतना का मांग पत्र क्रमांक 6523 दिनांक 20.08.2024 चालान संख्या नं. 051/9999999/09/09/ 24/001338 दिनांक 02.09.2024 को राशि 3,25,02,485 रुपये वनमण्डलाधिकारी वन मंडल छिंदवाड़ा (दक्षिण) का मांग पत्र क्रमांक 6523 दिनांक 22.05.2022 के अनुसार चालान संख्या नं. 12024052724984638 दिनांक 27.05.2024 को राशि 22,72,035 रुपये मांग पत्र अनुसार समस्त राशि को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से CAMPA खाते में जमा की गई है। चालान विवरण अजुलग्नक-A (i)	अधिरोपित शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि वनमण्डल दक्षिण शहडोल की राशि 2,13,85,100 रुपये तथा वनमण्डल रीवा की 2,23,37,100 रुपये कुल 4,37,22,200 रुपये एवं वनमण्डल सतना की दिनांक 02.09.2024 को राशि 3,25,02,485 रुपये वनमण्डल दक्षिण छिंदवाड़ा की 22,72,035 रुपये दिनांक 27.05.2024 को ऑनलाइन के माध्यम से जमा की गई है। बैंक की चालान की प्रति संलग्न है।

मा.चि. D:YEAR 2024\VM\LETTER DM-2024\docx 720

दिनांक

अधीक्षक



	anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years,	संलग्न है।																			
ii.	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02. 2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into CAMPA account of the State Concerned.	वनमण्डलाधिकारी वन मंडल शहडोल के पत्र क्रमांक 3924 दिनांक 01.06.2022 द्वारा NPV राशि ₹16,30,75,051.00 (सोलह करोड़ तीस लाख पचहत्तर हजार इक्यावन मात्र) कैम्पा में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से UBI Bank द्वारा जारी चालान नं. 5849537689 दिनांक 30.06.2023 को जमा कर दी गई है। भुगतान विवरण अनुलग्नक -A (ii) संलग्न है।	अधिरूपित शर्त के पालन में नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि ऑनलाइन कैम्पा मद में 30.06.2023 को जमा की गई है। चालान की प्रति एवं भविष्य में अतिरिक्त राशि जमा करने के संबंध में वचन पत्र संलग्न है।																		
iii.	The identified non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as Reserved Forest /Protected Forest prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act,1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to State-II approval.	<div>गैर-वन भूमि को वन विभाग के नाम पर नामांतरण हो चुका है। एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अनुसार घोषित संरक्षित / आरक्षित वन राजपत्र में प्रकाशन विवरण इस प्रकार है:</div> <table><tr><th>वन मंडल का नाम</th><th>राजपत्र प्रकाशन क्रमांक</th><th>राजपत्र प्रकाशन दिनांक</th></tr><tr><td>1. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल दक्षिण शहडोल वन परिक्षेत्र केशवाही ग्राम छिनमार 55.811 हे.</td><td>अधिसूचना प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है</td><td></td></tr><tr><td>2. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा वन परिक्षेत्र सिरमौर ग्राम रोड़ौही 22.376</td><td>क्रमांक /1318 /आर-2134627 /2024 /10 -3 भोपाल</td><td>10/07/2024</td></tr><tr><td>3. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी ,वन मंडल सतना वन परिक्षेत्र बरौधा ग्राम बरहा 33.675</td><td>क्रमांक /PCCF /7/0060/2024 -FLR -PCCF भोपाल</td><td>27/09/2024</td></tr><tr><td>4. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वन मंडल छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र कन्हान ग्राम गोड़ीबडोना 2.550</td><td>क्रमांक /1678 /2196743 /2024 /10 -3 भोपाल</td><td>12/09/2024</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>114.412</td></tr></table> <div>राजपत्र अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक A (iii-a) संलग्न है।</div>	वन मंडल का नाम	राजपत्र प्रकाशन क्रमांक	राजपत्र प्रकाशन दिनांक	1. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल दक्षिण शहडोल वन परिक्षेत्र केशवाही ग्राम छिनमार 55.811 हे.	अधिसूचना प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है		2. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा वन परिक्षेत्र सिरमौर ग्राम रोड़ौही 22.376	क्रमांक /1318 /आर-2134627 /2024 /10 -3 भोपाल	10/07/2024	3. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी ,वन मंडल सतना वन परिक्षेत्र बरौधा ग्राम बरहा 33.675	क्रमांक /PCCF /7/0060/2024 -FLR -PCCF भोपाल	27/09/2024	4. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वन मंडल छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र कन्हान ग्राम गोड़ीबडोना 2.550	क्रमांक /1678 /2196743 /2024 /10 -3 भोपाल	12/09/2024	Total		114.412	प्रभावित वनभूमि 151.095 हे. के अंश रकवा 114.372 हे. ओपन खदान के एवज में गैर वनभूमि वनमण्डल दक्षिण शहडोल, सतना, रीवा एवं दक्षिण छिंदवाड़ा में उपलब्ध कराई गई है, जिसकी शासन द्वारा धारा 29 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।
वन मंडल का नाम	राजपत्र प्रकाशन क्रमांक	राजपत्र प्रकाशन दिनांक																			
1. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल दक्षिण शहडोल वन परिक्षेत्र केशवाही ग्राम छिनमार 55.811 हे.	अधिसूचना प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है																				
2. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा वन परिक्षेत्र सिरमौर ग्राम रोड़ौही 22.376	क्रमांक /1318 /आर-2134627 /2024 /10 -3 भोपाल	10/07/2024																			
3. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी ,वन मंडल सतना वन परिक्षेत्र बरौधा ग्राम बरहा 33.675	क्रमांक /PCCF /7/0060/2024 -FLR -PCCF भोपाल	27/09/2024																			
4. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वन मंडल छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र कन्हान ग्राम गोड़ीबडोना 2.550	क्रमांक /1678 /2196743 /2024 /10 -3 भोपाल	12/09/2024																			
Total		114.412																			

iv.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	FRA फॉर्म-II में प्रमाणपत्र, 7059, दिनांक 26.09.2014 और RM/FRA/2020/792, दिनांक 09.10.2020 के अनुसार 151.095 हेक्टेयर के लिए अनुलग्नक-A (iv) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर द्वारा जारी एफ. आर.ए. प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
v.	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency;	प्रस्तावित कोल्माइंस की KML file CD तैयार कर संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। सी.डी. संलग्न है।
vi.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	संस्थान द्वारा सभी धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से CAMPA खाते में जमा कर दी गई है। अनुलग्नक-A (vi) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग के मांग अनुसार नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि सीधे ऑनलाईन के माध्यम से ई.पोर्टल में जमा कर दी गई है। राशि जमा के अभिलेख संलग्न है।
vii.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गई है। पावती की प्रति अनुलग्नक-(vii) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि सभी रिपोर्ट ई.पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
B: उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा शर्तों के अनुपालन में वचन पत्र प्रस्तुत है:			
i.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	शर्त के पालन हेतु वचन पत्र अनुलग्नक- B(i) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
ii.	Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency.	शर्त के पालन हेतु वचनपत्र अनुलग्नक-B (ii) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
iii.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	एनपीवी की अतिरिक्त अन्य राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हैं अनुलग्नक-B(iii) में संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
iv.	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India	R&R नीति के अनुसार लागू की जाएगी। इस संबंध में वचनपत्र अनुलग्नक-B (iv) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

	before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;		
v.	Fencing, protection and regeneration of the safety zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease] shall be done at the project cost within three years and maintained thereafter as per approved working plan of the State Govt.	शर्त के पालन हेतु वचनपत्र अनुलग्नक- B (v) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
vi.	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake afforestation on degraded forest land, at project cost, one and half time in extent to the area used for safety zone.	शर्त के पालन हेतु वचनपत्र अनुलग्नक-B (vi) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
vii.	The user agency shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area, and any other areas which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc.;	शर्त के पालन हेतु वचनपत्र अनुलग्नक- B(vii) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
viii.	<p>The following activities shall be undertaken by the User Agency under supervision of the State Forest Department at the project cost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams if available the vicinity of mining area shall be prepared and implemented. • Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion. • Construction of check dams, retention toe walls to arrest 	<p>अधिरोपित शर्त अनुसार वचन पत्र एवं विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक B (viii-a) संलग्न है</p> <p>अधिरोपित शर्त अनुसार विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक B (viii-b) संलग्न है</p> <p>विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक-B(viii-a) संलग्न हैं।</p>	अधिरोपित शर्त के पालन में कराये गये कार्यों के संबंध में पालन प्रतिवेदन में स्कीम संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

	sliding down of the excavated material along the contour.		
ix.	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there under.	अधिरोपित शर्त अनुसार वचन पत्र अनुलग्नक-B (ix) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
x.	The User Agency shall ensure that the dumping of Over Burden (OB) shall be carried out as per the approved phased Reclamation plan	अधिरोपित शर्त अनुसार वचनपत्र अनुलग्नक-B(x) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xi.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	पर्यावरण मंजूरी EIA अधिसूचना, 2006 अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है। पर्यावरणीय स्वीकृति अनुलग्नक-B (xi) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में पर्यावरणीय स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है।
xii.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas	अधिरोपित शर्त अनुसार वचनपत्र अनुलग्नक-B(xii) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xiii.	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates	अधिरोपित शर्त अनुसार वचनपत्र अनुलग्नक-B (xiii) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xiv.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	अधिरोपित शर्त अनुसार वचनपत्र अनुलग्नक-B(xiv) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xv.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	अधिरोपित शर्त अनुसार वचनपत्र अनुलग्नक-B(xv) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xvi.	Sufficient firewood, preferably	अधिरोपित शर्त अनुसार वचनपत्र अनुलग्नक-B(xvi)	अधिरोपित शर्त के पालन

	the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel	संलग्न है।	में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xvii.	The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	अधिरोपित शर्त अनुसार वचनपत्र अनुलग्नक-B(xvii) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xviii.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	अधिरोपित शर्त अनुसार वचनपत्र अनुलग्नक-B(xviii) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xix.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project	सहमत, विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक-B(xix) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xx.	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area;	शर्त का पालन करने के लिए सहमत हैं।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xxi.	The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department	शर्त का पालन करने के लिए सहमत हैं। इसके संबंध में वचनपत्र अनुलग्नक-B(xxi) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xxii.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त का पालन करने के लिए सहमत हैं। इसके संबंध में वचनपत्र अनुलग्नक-B(xxii) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

xxiii.	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in be concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Dy. Director General (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, reclamation activities area satisfactorily executed;	अधिरोपित शर्त अनुसार वचनपत्र अनुलग्नक-B(xxiii) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xxiv.	The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त का पालन करने के लिए सहमत हैं। इसके संबंध में वचनपत्र अनुलग्नक-B(xxiv) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xxv.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project	सहमत । इसके संबंध में वचनपत्र अनुलग्नक-B(xxv) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xxvi.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018	शर्त का पालन करने के लिए सहमत हैं। इसके संबंध में वचनपत्र अनुलग्नक-B(xxvi) संलग्न है।	अधिरोपित शर्त के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
xxvii.	Any other condition that the	शर्त का पालन करने के लिए सहमत हैं। वचनपत्र अनुलग्नक-	अधिरोपित शर्त के पालन

Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	B(xxvii) के रूप में संलग्न है।	में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
--	---------------------------------	---

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(श्रद्धा प्रदे)

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण वनमण्डल शहडोल

06/04/24

पृ0क्रमांक/मा.चि./2024/

शहडोल, दिनांक :

/2024

प्रतिलिपि:- मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड सतना कैम्प बुढ़ार की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण वनमण्डल शहडोल

06/04/24